

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद, मुख्यालय भोपाल में
परामर्शदाता के नामांकन हेतु आवेदन

1. परामर्शदाता का क्षेत्र
(वित्त एवं लेखा, नीति, स्थापना, सूचना प्रौद्यौगिकी,
आई.ई.सी. सूचना, शिक्षा एवं संचार)
2. आवेदक का नाम
3. पिता का नाम
4. जन्म दिनांक
5. दिनांक(01.09.10) को आवेदक की आयु
6. शासकीय / निजी सेवा की जानकारी :-

आवेदक का
फोटोग्राफ
एवं
स्वहस्ताक्षरित
प्रमाणीकरण

सेवा का प्रकार शासकीय / निजी	विभाग का नाम	किस पद पर कार्यरत हैं, वेतनमान, पदस्थापना स्थल	किस विषय / क्षेत्र में विशेषज्ञता है।	शासकीय क्षेत्र में किस विषय में कार्य का अनुभव है तथा कितने वर्षों का अनुभव है।	किस पद से सेवा निवृत्त हुए	सेवा निवृत्ति का दिनांक	सेवा निवृत्ति पर प्राप्त हो रहे मूल वेतन
1	2	3	4	5	6	7	8

7. स्थानीय पता, दूरभाष क्रमांक एवं मोबाइल नं.
-

:: घोषणा ::

एतद द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्णतः सही है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि वर्तमान में मेरे विरुद्ध किसी भी प्रकार के लोकायुक्त प्रकरण, विभागीय जांच, आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं हैं। यदि उपरोक्त दी गई जानकारी असत्य पायी जाती है, तो मेरा नामांकन निरस्त करते हुए मेरे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे,

दिनांक –
स्थान –

आवेदक के हस्ताक्षर

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल में
आईटी एवं संचार क्षेत्र के परामर्शदाता के नामांकन हेतु आवेदन

1. फर्म का नाम
2. फर्म के मालिक का नाम
3. फर्म की जानकारी –

क्र.	फर्म का पंजीयन क्रमांक	फर्म का पैन नम्बर	फर्म का टिन नम्बर	वित्तीय वर्ष 2009–10 में कुल टर्न ओवर
1	2	3	4	5

4. शासकीय विभागों में सेवाएं देने का कुल कितने वर्ष का अनुभव है
 5. प्रदेश स्तर पर फर्म के अंतर्गत कितने विषय विशेषज्ञ कार्यरत हैं
 6. पत्राचार हेतु फर्म का पूर्ण पता, दूरभाष क्रमांक आदि
-
.....

:: घोषणा ::

एतद द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्णतः सही है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि वर्तमान में फर्म के विरुद्ध किसी भी प्रकार के आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं हैं। यदि उपरोक्त दी गई जानकारी असत्य पायी जाती है तो फर्म का नामांकन निरस्त करते हुए मेरे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे,

दिनांक –

प्रोप्राइटर. के हस्ताक्षर

स्थान –

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल
विधिक क्षेत्र के परामर्शदाता के नामांकन हेतु आवेदन

1. फर्म का नाम
2. फर्म के मालिक का नाम
3. फर्म की जानकारी –

क्र.	फर्म का पंजीयन क्रमांक	फर्म का पैन नम्बर	फर्म का टिन नम्बर	वित्तीय वर्ष 2009–10 में कुल टर्न ओवर
1	2	3	4	5

4. शासकीय विभागों में सेवाएं देने का कुल कितने वर्षों का अनुभव है।.....
(विभागों के नाम सहित वर्षों का उल्लेख करते हुए सूची संलग्न करें)
 5. प्रति वर्ष औसतन कितने शासकीय प्रकरणों के निराकरण का कार्य किया है
 6. प्रदेश स्तर पर फर्म के अंतर्गत कितने विषय विशेषज्ञ कार्यरत हैं
 7. पत्राचार हेतु फर्म का पूर्ण पता, दूरभाष क्रमांक आदि
-
-

:: घोषणा ::

एतद द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्णतः सही है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि वर्तमान में फर्म के विरुद्ध किसी भी प्रकार के आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं हैं। यदि उपरोक्त दी गई जानकारी असत्य पायी जाती है तो फर्म का नामांकन निरस्त करते हुए मेरे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे,

दिनांक –

प्रोप्राईटर. के हस्ताक्षर

स्थान –

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
नर्मदा भवन, द्वितीय तल “सी” विंग, 59 अरेसा हिल्स, भोपाल

क्र. 8642

दिनांक 16.08.2010

परामर्शदाता के नामांकन हेतु विज्ञप्ति

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार, वित्त एवं लेखा, विधिक सहायता, नीति निर्माण तथा स्थापना/कर्मचारी कल्याण/सूचना, शिक्षा एवं संचार के विषयों पर दिशा-निर्देश, नीति, नियमावली, सर्कुलर्स बनाने अथवा आवश्यक विधिक मार्गदर्शन देने हेतु विभिन्न विभागों के सेवा निवृत्त अधिकारियों अथवा फर्मों को परामर्शदाता नामांकित किया जाना है। इस हेतु अधिकारियों/फर्म को आदेश करने हेतु निम्न शर्तों को पूर्ण करना होगा :—

क्र.	क्षेत्र	आवश्यक शर्तें
1	आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी)	संचार/आईटी क्षेत्र से जुड़े विषय विशेषज्ञ। निजी/सार्वजनिक क्षेत्र/उपकरण/के सेवा निवृत्त अधिकारी, शासकीय/निजी इंजीनियरिंग कॉलेज के कार्यरत/सेवा निवृत्त शिक्षक जिनके पास शासकीय क्षेत्र में कार्य का पर्याप्त अनुभव हो।
2	वित्त लेखा	मध्यप्रदेश वित्त सेवा के ज्वॉइंट डायरेक्टर अथवा वरिष्ठ पद से सेवा निवृत्त अधिकारी। महालेखाकार कार्यालय के सेवानिवृत्त उप महालेखाकार या वरिष्ठ पद से सेवानिवृत्त अधिकारी। अधिकतम आयु 65 वर्ष।
3	विधिक शाखा	ऐसी फर्म जिनका टर्नओवर कम से कम 50 लाख रु. वार्षिक हो एवं जिनके द्वारा एक वित्तीय वर्ष में लगभग 100 शासकीय प्रकरणों के निराकरण का कार्य किया गया हो।
4	नीति	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सेवानिवृत्त संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त/कार्यपालन यंत्री अथवा अन्य वरिष्ठ अधिकारी। सामान्य प्रशासन विभाग से सेवानिवृत्त अवर सचिव अथवा अन्य वरिष्ठ अधिकारी। अधिकतम आयु 65 वर्ष।
5	स्थापना	सामान्य प्रशासन विभाग के सेवानिवृत्त अपर कलेक्टर अथवा अन्य वरिष्ठ अधिकारी। अधिकतम आयु 65 वर्ष।
6	आईईसी (सूचना शिक्षा एवं संचार)	संचार/मीडिया के क्षेत्र में 10 वर्ष का अनुभव हो/ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्र में कार्य का विशेष अनुभव हो। अधिकतम उम्र 50 वर्ष हो।

परामर्शदाता को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 120 दिवस उपलब्ध होंगे। प्रति कार्य दिवस रु. 1250/- का भुगतान किया जावेगा।

आवेदन पत्र म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बेवसाइट www.nregs-mp.org पर उपलब्ध है। परिषद मुख्यालय में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 30.8.10 को सायं 5.30 बजे तक है। आवेदन निम्न पते पर भेजा जावे—

संयुक्त आयुक्त (प्रशा.)

म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद

नर्मदा भवन, द्वितीय तल “सी” विंग,

59 अरेसा हिल्स, भोपाल

परिषद को यह अधिकार होगा कि उक्त विज्ञप्ति को बगैर किसी कारण के निरस्त कर दिया जावे। किसी भी विवाद की स्थिति में मुख्य कार्य पालन अधिकारी, म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद का निर्णय अंतिम होगा।

(शिव शेखर शुक्ला)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल